

Form-III  
फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी गद्दी

जिला बाँसवाड़ा





रतु/नाबु कुनकु के मप्रतडा  
वर्ग २

बनाम नजोन्दुसिंह/सुमेर सिंह चौहान  
राजपुत (वानकु कोलोनी)  
वर्ग २

केस नुक्रमा :-

१७ माही कोलोनी अश्रक एकर

प्रकरण संख्या 2595/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
17 <sup>11</sup> / <sub>16</sub>	<p>पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी <u>रतु</u> पिता <u>नाबु</u> जाति <u>बुजुग</u> निवासी <u>मप्रतडा</u> ने अन्तर्गत धारा <u>१७ माही को १</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी <u>नजोन्दुसिंह</u> पिता <u>सुमेर सिंह चौहान</u> निवासी <u>वानकु कोलोनी</u> के विरुद्ध वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक <u>27/12/16</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> गद्दी, जिला बाँसवाड़ा</p>	  गालवा गुमरा
27/12/16	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकार दावेत तबनी शेष। तबनी पेश होने पर पत्रावली दिनांक 31/1/17 को पेश हो।</p>	 गालवा
31/1/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अर्जी पत्रकार दावेत तबनी शेष। तबनी पेश होने पर पत्रावली दिनांक 15/2/17 को पेश हो।</p>	 गालवा

3/11/17  
पत्रावली

2/11/17

~~पत्रावली पेश हुई। कुकुलाय उपस्थित वकील  
उपस्थित। 0 सादर राजकीय कार्य हेतु उद्योग  
से पहले ही पत्रावली पुर्वानुसार हेतु कार्य जारी  
दिनांक 6/12/17 को पेश हो।~~

उपस्थित  
पत्रावली  
5/11/17 को

6/11/17 पत्रावली पेश हुई। कुकुलाय उपस्थित वकील वारे क  
हेतु पत्रावली दिनांक 18/12/17 को पेश हो।

10/11/17 पत्रावली पेश हुई। अतिव्यवसाय द्वारा उपस्थित पत्र पेश क  
अतिव्यवसाय के अभाव लेके स-0 भाषक का स-0 भाग नहीं लेके  
पत्रावली आगामी दिनांक 15/11/18 को पेश हो।

11/11/18 पत्रावली पेश हुई। अतिव्यवसाय द्वारा उपस्थित पत्र पेश क  
0 भाषक का स-0 भाग नहीं लेके स-0 पत्रावली आगामी दिनांक  
20/2/18 को पेश हो।

20.2.18 पत्रावली पेश हुई। कुकुलाय द्वारा 0 भाषक कार्य  
में भाग नहीं लिया गया। पत्रावली वाले अतिव्यवसाय  
दिनांक 26.2.18 को पेश हो।

26.2.18 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी अतिव्यवसाय उपस्थित  
वादी अतिव्यवसाय को प्रतिवादी की ओर से उत्तर  
7 निम्न 11 C.P.C. के उपनिर्णय-पत्र का जवाब उपस्थित  
करने कई अवसर दिने जाने एक भाग पेशी की  
तीन-चार बार आवाज (अतिव्यवसाय) के उपस्थित  
भी जारी न इनके अतिव्यवसाय उपस्थित नहीं  
आतः पत्रावली भाषक का इतरकी व प्रथम पेश  
में स्वाईट किया जाता है। पत्रावली का स-0 दाखल  
दाखिल दफ्तर ही।

सदर मादलदाके  
वली वारे

सदर मादलदाके  
वली वारे  
(8/17) को पेश हो।

सदर मादलदाके  
वली वारे  
दिनांक 3/10/17